नियम 62 के अन्तर्गत श्री राकेश जम्वाल माननीय विधायक से प्राप्त प्रस्ताव।

विषयः 100 मीटर दूर सामान ले जाने के लिए 20 किलो मीटर का लम्बा फेरा ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

"सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ध्वाल को खुराहल से जोड़ने वाले पुराने वन विभाग के पुल को ना हटाने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए पुल को शुरू नहीं किया जा सका है। वन विभाग की देरी से इलाकावासियों को हो रही दिक्कतों की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करने बारे यह सदन विचार करे।''

माननीय अध्यक्ष महोदय,

उपरोक्त मुददे से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार हैः–

पुलों को नकारा एवं असुरक्षित घोषित करने के लिए हिमाचल सरकार सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) है। ध्वाल पुल को नकारा एवं असुरक्षित करने का मामला प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा प्रधान सचिव (वन) हि0प्र0 के माध्यम से वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को स्वीकृति प्रदान करने बारे भेजा गया था। प्रधान सचिव (वन) हि0प्र0 द्वारा वित विभाग के परामर्श उपरान्त पत्र संख्या FFE-B-C (2)14/2019 दिनांक 29–07–2022 द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रधान मुख्य अरण्यपाल को दे दी गई है। पुल को तोड़ने से सम्बन्धित आगामी कार्यवाही वन मण्डल अधिकारी सुकेत द्वारा की जा रही है। उपरोक्त पुल को तोड़ने हेतु नीलामी सूचना दो दिन के भीतर जारी की जा रही है।

***